भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *30
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन के लिए धनराशि

†*30. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वर्ष और विगत तीन वर्षों के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए पंजाब को आबंटित /जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पंजाब और अन्य राज्यों को किए गए धनराशि के आबंटन का आनलाइन डाटाबेस बनाकर इसे सार्वजनिक करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 30 दिनांक 2 दिसंबर, 2025

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 30 दिनांक 2 दिसंबर, 2025 के उत्तर में वक्तव्य।

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। पंजाब समेत सभी राज्यों को SDRF और NDRF के तहत दिए गए और जारी किए गए फंड की जानकारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/responsefund पर मौजूद है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के दौरान पंजाब राज्य को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटन (केन्द्रीय अंश और राज्य अंश सहित)	एसडीआरएफ का केंद्रीय अंश जारी	एनडीआरएफ से जारी
2022-23	554.40	416.00	--
2023-24	582.40	436.80	--
2024-25	611.20	458.40	29.60

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पंजाब राज्य सरकार को एसडीआरएफ के अंतर्गत ₹642.40 करोड़ (₹481.60 करोड़ केंद्रीय अंश + ₹160.80 करोड़ राज्य अंश) की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2025 को राज्य सरकार को एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश की ₹240.80 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में, एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश की ₹240.80 करोड़ की दूसरी किस्त भी दिनांक 10.09.2025 को अग्रिम रूप से राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 तक अपने एसडीआरएफ खाते में ₹11947.20 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि की सूचना दी है।

***